

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के तगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक  
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2012—आश्विन 20, शक 1934

## विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

RAJ BHAVAN, RAIPUR

Raipur, the 24th September 2012

No. 1522/7664/2008/RS/U-9.—In continuation to Raj Bhavan Secretariat Notification Nos. 1151/7664/2008/RS/U-9 dated 26-5-2012 the term of the tribunal to submit award is hereby extended further for one more month.

The other terms and conditions remain the same.

Sd/-

(Shekhar Dutt)

Governor of Chhattisgarh and  
Kuladhipati of State Universities.

2371

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ दुर्ग शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रायनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2012

(1)

(2)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2011-12.—चौकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-धरमजयगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-बंगरसुता  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.896 हेक्टेयर

योग	14	1.896
-----	----	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंगरसुता-कुडेकेला मार्ग पर मांड नदी पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़, मुख्यालय धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
406/3	0.040
411/1	0.184
457	0.160

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2012

क्रमांक/82/अ.भू.अ./12.—छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-6-23/सात-1/2009 रायपुर दिनांक 20-04-2012 द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 90 में निहित शक्तियों के तहत संहिता की धारा 68, 69, 70, 72 एवं 73 की शक्तियों के प्रयोग करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया है. अतएव उपरोक्त आदेश के आधार पर राजनांदगांव जिले के तहसील अं. चौकी के ग्राम ढाढ़टोला, कोटरा एवं गुण्डरदेही से प्रस्तावित क्षेत्र अपवर्जित करके (ग्राम बांधाबाजार हेतु प्रस्तावित निम्नानुसार क्षेत्रफल जनसंख्या समाविष्ट कर) पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है.

स. क्र.	भूमि मदवार	ग्राम ढाढ़टोला	ग्राम कोटरा	ग्राम गुण्डरदेही	ग्राम बांधाबाजार हेतु प्रस्तावित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम का कुल रकबा	403.871 हे.	227.634 हे.	477.420 हे.	117.436 हे.
2.	खाते का रकबा	301.211 हे.	156.879 हे.	316.998 हे.	71.821 हे.
3.	गैर खाते एवं निस्तार का रकबा	99.112 हे.	67.439 हे.	155.457 हे.	33.607 हे.
4.	अर्जन के लिए आवश्यक क्षेत्रफल	2177	579	1024	1276



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	मवेशी संख्या	817	640	996	1231
6.	आबादी भूमि	3.548 हे.	3.316 हे.	3.934 हे.	12.008 हे.

- (2) उपरोक्त चारों ग्रामों की सीमा निर्धारण सीमांकन तथा सीमा में विधिवत् चांदा मुनारा की स्थापना एवं रेखामापन करने का आदेश दिया जाता है.
- (3) उपरोक्त चारों ग्रामों का पृथक-पृथक सम्पूर्ण राजस्व अभिलेखों का विधिवत् संधारण करने का निर्देश दिया जाता है.

अशोक कुमार अग्रवाल,  
कलेक्टर.

### छत्तीसगढ़, गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितंबर 2012

क्रमांक 4336 आ.आ./प्रशा./मुख्या./फा.नं.-0200/12.—छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, डाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 4-47/32/06-रायपुर दिनांक 24-09-2012 के अनुमोदन से मण्डल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 103 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेना (भर्ती) विनियम 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

#### संशोधन

उक्त विनियम में,—

- अनुसूची-4 के सरल क्रमांक-4 एवं 5 के खाना क्रमांक 2 एवं 3 की वर्तमान प्रविष्टियों को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रविष्टि स्थापित किया जाता है.  
(अ) मुख्य संपदा अधिकारी से मुख्य लेखा अधिकारी  
(ब) संपदा अधिकारी/लेखाधिकारी से मुख्य संपदा अधिकारी
- यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जावे.

सोनमणि बोरा,  
आयुक्त.

### कार्यालय कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 सितम्बर 2012

क्रमांक 1591/क/बं.श्र./2012.—बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, आर. एस. पी. त्यागी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) निम्नांकित सदस्यों को नामांकित करते हुये बंधक श्रमिक सतर्कता समिति का गठन करता हूँ :-

#### उप संभाग स्तरीय सतर्कता समिति-उप संभाग, जांजगीर

- |    |                       |  |         |
|----|-----------------------|--|---------|
| 1. | श्री शिव कुमार तिवारी | अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी, जांजगीर  | अध्यक्ष |
| 2. | श्री अजय उरांव        | तहसीलदार/कार्गपालिक दण्डाधिकारी, जांजगीर | सदस्य   |